संख्या-9/2020/316/12-5-2020-सा0-01/2019

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊ:: दिनांक:: 03 मार्च, 2020**

विषय-प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-7/2020/170/12-5-2020/सा०-01/2019, दिनांक 04.02.2020 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 26 फरवरी, 2020 को मा० मुख्यमंत्री, उ0प्र0 द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) की समीक्षा के दौरान निर्देशित किया गया कि इस योजना के सभी पात्र लाभार्थियों को दिनांक 31 मार्च, 2020 से पूर्व प्रत्येक दशा में योजना की आगामी किस्त अवमुक्त किया जाना है।

मा० मुख्यमंत्री के उक्त निर्देश के अनुपालन हेतु निम्नवत् कार्यवाही तत्परता से कराये जाने की आवश्यकता है :-

भारत सरकार को प्रेषित डाटा में से **आधार ऑथेन्टिकेशन** के पश्चात् 1 करोड़ 27 लाख किसानों का डाटा आधार के अनुरूप नहीं पाया गया। इसमें से 73 लाख किसानों का डाटा ठीक कराया जा चुका है। शेष 54 लाख ऐसे किसान है, जिनकी आधार संख्या की त्रुटि का सुधार नहीं हो पाया है, जिसके कारण उनकों पीएम-किसान योजना की आगामी किस्त निर्गत नहीं हो पा रही है। **PM-KISAN** योजनान्तर्गत उक्त शेष 54 लाख किसानों का आधार नम्बर और आधार के अनुरूप उनका नाम **PM-KISAN** पोर्टल पर ठीक कराया जाना है। यदि इसे शीघ्रता से ठीक नहीं कराया गया तो इन किसानों को योजना की अगली किस्त का भुगतान नहीं हो सकेगा।

2- अतः **PM-KISAN** योजना के अवशेष कार्य को मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्धारित समय के अन्तर्गत पूर्ण करने के लिए आपसे अपेक्षा है कि कृपया व्यक्तिगत रूचि लेते हुए **दिनांक 15 मार्च, 2020 तक राजस्व विभाग/नगर विकास विभाग तथा कृषि विभाग के कर्मचारियों के माध्यम से उक्त योजनान्तर्गत सभी त्रुटियों का सुधार कराने के लिए अभियान चलाकर** ग्रामवार क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हुये डाटा में आधार संख्या तथा आधार के अनुरूप उनके नाम का सुधार अवश्य करा लें, ताकि योजना के सभी पात्र किसानों को योजना का लाभ यथाशीघ्र प्राप्त हो सके।

भवदीय
राजेन्द्र कुमार तिवारी
मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-9/2020/316(1)/12-05-2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3- समस्त अपर प्रमुख सचिव /प्रमुख सचिव /सचिव, उ0प्र0 शासन।
4- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
6- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8- निजी सचिव, मा0 कृषि मंत्री, उ0प्र0 शासन।
9- कृषि निदेशक, कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10- निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11- समस्त उप निदेशक, उत्तर प्रदेश।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
डा० देवेश चतुर्वेदी
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।